न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 215/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कसुम्बी पत्नी आदूराम 2 गोरधनराम पुत्र लाधाराम 3 दुर्गाराम पुत्र आदूराम 4 नारणाराम पुत्र हीराराम 5 बन्नाराम पुत्र आदूराम 6 शेराराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी मूलाणी, नांद तहसील व जिला बाडमेर।		1 धर्माराम 2 बाबूराम पिसरान जीयाराम 3 सोनीदेवी पत्नी जीयाराम 4 जोगाराम 5 रूपाराम पिसरान ईशराराम 6 अमराराम 7 दमाराम पिसरान पूनमाराम 8 बालीदेवी पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी मूलाणी नांद तहसील व जिला बाडमेर 9 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा विशाला 10 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री खेताराम सैन, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री नीम्बाराम बेनीवाल, वकील अप्रार्थी संख्या 06 से 08।

आदेश

दिनांक 26/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा मूलाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 935/378 रकबा 44.7339 हैक्टेयर व खसरा संख्या 377 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के खेत मौजा मूलाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 716, 380 व 715/383 में से चल रहें सरकारी रास्ते तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है । इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 से 08 के अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा।

अप्रार्थी संख्या 06 से 08 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शे में अंकित रास्ता अप्रार्थी के खेतों के बीचो–बीच होने से अप्रार्थीगण की जमीन ज्यादा खराब हो रही है। इसलिए अप्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 383 के सेढे पर रास्ता देने हेतु सहमत है। जहां से सड़क मार्ग नजदीक है तथा प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ता भी जनदीक पड़ेगा तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा मार्ग नाडी के आगोर से होकर गुजर रहा है। लिहाजा अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 383 के सेढे पर रास्ता देने हेतु राहगत है। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2024/1323 दिनांक 29.08.2024 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थीगण को अपने खेत मौजा मूलाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 935/378 रकबा 44.7339 हैक्टेयर व खसरा संख्या 377 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि तक पहुंचने हेतु मौका मुआयना किया गया। ग्राम मूलाणी के खेत खसरा संख्या 935/378 व 377 की भूमि तक आने–जाने के लिए रोकर्ड व मौके की स्थिति अनुसार कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से ग्राम मूलाणी के खेत खसरा संख्या 380 रकबा 19.7810 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 715/383 रकबा 2.5090 हैक्टेयर व खसरा संख्या 716/383 रकबा 4.8158 हैक्टेयर में से आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित रास्ता मौके पर वर्तमान में चालू है जिसका उपयोग आवागमन हेतु लिया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है। इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है और न ही किसी प्रकार का स्थगन है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम मूलणी के खसरा संख्या 711/383 रकबा 45.1143 हैक्टेयर ग्राम पंचायत नांद की गैमु आगोर भूमि में आकर मिलता है, जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि तक आवागमन हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 380 व 712/383 में से खसरा संख्या 717/384 गै.मु. रास्ता तक का है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी बसी हुई ढाणियों एवं चलायमान रास्ते का रेकर्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित रास्ता के लिए वाद दायर किया है। संलग्न नक्शे में न्यूनतम दूरी का मार्ग बरंग हरा अनुसार है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 377 में बसी हुई ढाणियों के पास चलायमान रास्ते को रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। उक्त रास्ता बरंग लाल गै.मु. आगोर (प्रतिबंधित भूमि) की भूमि में आकर मिलता है। उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित चलायमान रास्ते को रेकर्ड में दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान की गई। खसरा संख्या 380 के खातेदारान द्वारा उक्त रिपोर्ट को लेकर असहमति प्रकट की व मौके पर अनुपस्थित रहे। मौजा मूलाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 935/378 रकबा 44.7339 हैक्टेयर व खसरा संख्या 377 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि से डामर सड़क तक रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरा पुत्र पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट दमा पुत्र	380	19.7810	495 X 13	0.0604	71694/–

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

	पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट बाली पत्नी पूनमा हिस्सा 1/6 जाति जाट					
2	जोगाराम पुत्र ईशराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट रूपाराम पुत्र ईशराराम हिस्सा 1/2 जाति जाट	715/383	2.509	672 X 6.50	0.0410	48666/-
3	धर्माराम पुत्र जीया हिस्सा 1/3 जाति जाट बाबूराम पुत्र जीया हिस्सा 1/3 जाति जाट सोनी पत्नी जीया हिस्सा 1/3 जाति जाट	716/383	4.8158	672 X 6.50	0.0410	48666/-

द्वितीय प्रस्तावित रास्ता :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौडाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	अमरा पुत्र पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट दमा पुत्र पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट बाली पत्नी पूनमा हिस्सा 1/6 जाति जाट	380	19.7810	226 X 13	0.0273
2	राजस्थान सरकार	953/712	13.8622	112 X 13	0.0135

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 06 से 08 ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर उपस्थिति होकर नही बनाई गई है। रास्ता दो अलग-अलग प्रस्तावित किये है जिससे स्पष्ट है कि रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहे अनुसार बनाया गया है। तहसीलदार बाडमेर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा रास्ते हेतु 02 विकल्प दर्शाये गये है। न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्तो जमाबन्दी एवं नक्शे की रिपोर्ट से मिलान नही होने से तहसीलदार बाडमेर से पुनः रिपोर्ट तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बाडमेर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/251-ए/202/518 दिनांक 21.05.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि खसरा संख्या 935/378 तक पहुंच हेतु न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता जो कि मौके पर खाली है जो निम्नानुसार है :-

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर (प्रति हैक्टेयर)	डीएलसी दर की दुगुनी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अगरा पुत्र पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट दमा पुत्र पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट बाली पत्नी पूनमा हिस्सा 1/6 जाति जाट	380	19.7810	76 X 6	0.042	742000/–	31164/–
2	राजस्थान सरकार	953/712	13.8622	35 X 6	0.210	371000/–	77910/–

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 06 से 08 ने भी उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रार्थीगण को देने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा संख्या 935/378 तक पहूच हेतु न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता जो कि मौके पर खाली है, उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "आसमानी" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मूलाणी पटवार हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 935/378 रकबा 44.7339 हैक्टेयर व खसरा संख्या 377 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि में पहुँचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर (प्रति हैक्टेयर)	डीएलसी दर की दुगुनी राशि
2	3	4	5	6	7	8
अगरा पुत्र पूनमा हिस्सा 5/12 जाति जाट दमा	380	19.7810	76 X 6	0.042	742000/–	31164/–

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

पूनमा हिस्सा 5/12 ... जाट बाली पत्नी ...ा हिस्सा 1/6 जाति ...						
...स्थान सरकार	953/712	13.8622	35 X 6	0.210	371000/–	77910/–

तहसीलदार बाड़मेर को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी दर दुगुनी राशि की गणना करवा कर के प्रार्थीगण बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 21.05.2025 के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/06/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर